दिनांक 29.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 31/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पत्रिका का विमोचन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 29.04.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में साइबर क्राइम मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित **साइबर सुरक्षा मार्गदर्शिका, साइबर सुरक्षा पैम्फलेट** व **साइबर अपराध विवेचना–हस्तपुस्तिका** का पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध एवं अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना की उपस्थिति में विमोचन किया गया।

"साइबर अपराध के प्रति जागरूकत्ता ही बचाव है"

साइबर अपराधों के क्षेत्र में लगातार परिवर्तित हो रही तकनीक एंव अपराध करने के तरीके के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरूक करने हेतु साइबर क्राइम मुख्यलय उ0प्र0 द्वारा **"साइबर सुरक्षा मार्गदर्शिका"** व **साइबर सुरक्षा पैम्फलेट** के माध्यम से साइबर अपराध के प्रकार, बचाव के उपाय और सुरक्षित आन लाइन रहने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है।

"साइबर अपराध विवेचना–हस्तपुस्तिका" के माध्यम से साइबर अपराधों के अनुसंधान की दिशा में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को मार्ग दर्शन देने का प्रयास किया गया है। उक्त हस्तपुस्तिका साइबर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं अन्वेषण करने में काफी मददगार साबित होगी तथा पुलिस कार्मिकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

साइबर सुरक्षा
मार्गदर्शिका
1930

CYBER CRIME
INVESTIGATION
HANDBOOK

साइबर सुरक्षा
1930

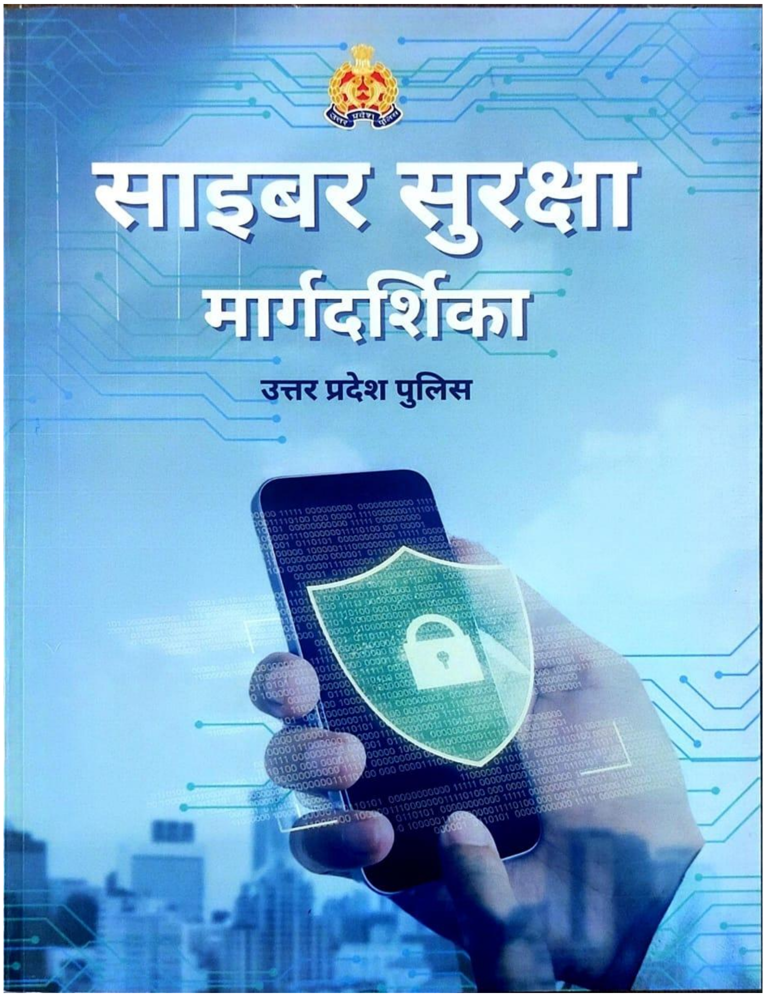
साइबर सुरक्षा
मार्गदर्शिका
उत्तर प्रदेश पुलिस

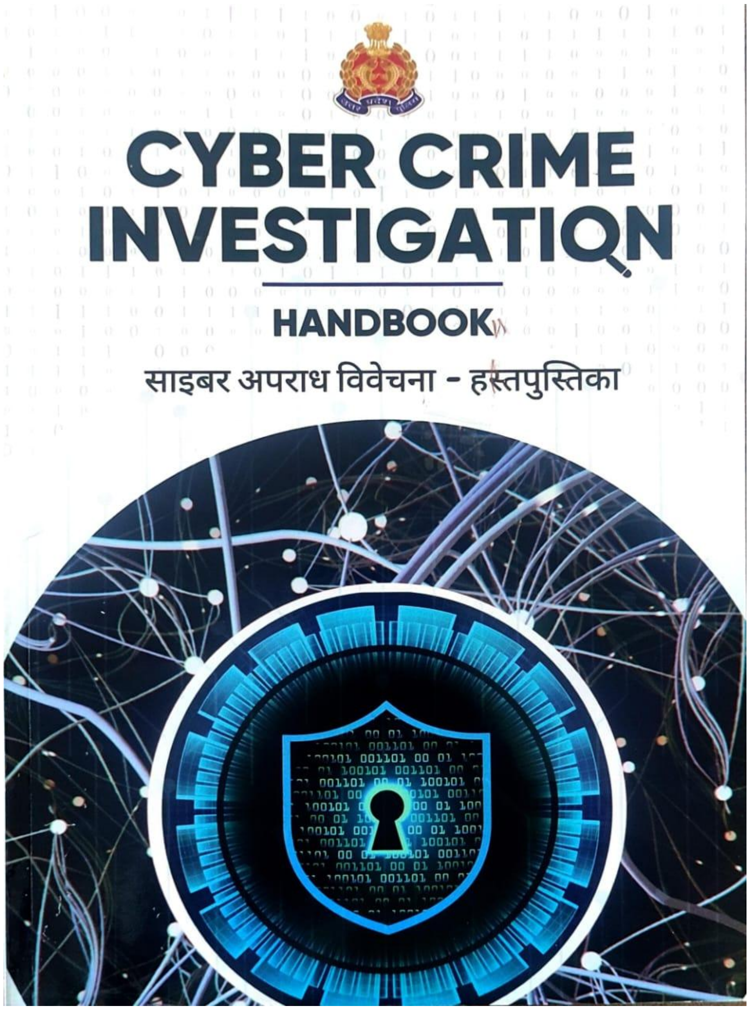
CYBER CRIME
INVESTIGATION
HANDBOOK
साइबर अपराध विवेचना - हस्तपुस्तिका

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.04.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीपी नगर बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जयवीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना सिकन्दरा पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयवीर निवासी इस्लाम नगर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

जनपद सीतापुर/थाना रामपुर कलां

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.04.2024 को थाना रामपुर कलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुनीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना कमलापुर पर हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुनीम निवासी ग्राम गढी थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट के 51 हजार 340 रूपये नगद

• चाँदी के 03 सिक्के आदि बरामद

दिनांक 29.04.2024 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीरा की रेती के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुरेश उर्फ सुक्खा 2–जोशिल उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 51 हजार 340 रूपये नगद, चाँदी के 03 सिक्के आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके पास से बरामद रूपये आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरेश उर्फ सुक्खा निवासी उपाध्याय नगर कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2–जोशिल उर्फ शिवम निवासी मो0राजीव नगर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूट के 51 हजार 340 रूपये नगद।

2–चाँदी के 03 सिक्के आदि।

जनपद सम्भल/थाना नखासा

• चोरी की घटना का अनावरण

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 03 लाख 31 हजार 408 रूपये नगद

• 02 मोबाइल फोन

• 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस

• घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 29.04.2024 को थाना नखासा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिठाली बाईपास के पास से 03 अभियुक्तों 1–मनप्रीत 2–हर्ष

3–प्रखर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 31 हजार 408 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.04.2024 को थाना नखासा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मनप्रीत निवासी ग्राम अलीपुरा कुई थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

2–हर्ष निवासी ग्राम अलीपुरा कुई थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

3–प्रखर निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 03 लाख 31 हजार 408 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **हेरोइन बिक्री के 53 हजार 190 रूपये नगद**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 150 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.04.2024 को थाना रॉबर्टसगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरेला से 02 अभियुक्तों 1–अमरेश 2–राकेश को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से हेरोइन बिक्री के 53 हजार 190 रूपये नगद, लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 150 ग्राम अवैध हेरोइन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमरेश निवासी ग्राम जैत थाना रॉबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

2–राकेश निवासी ग्राम जैत थाना रॉबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–हेरोइन बिक्री के 53 हजार 190 रूपये नगद।

2–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 150 ग्राम अवैध हेरोइन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमृतलाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामगोपाल 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इस्तियाक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————